इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
कृषि विज्ञान केन्द्र, भलेसर, महासमुन्द – 493445
Krishi Vigyan Kendra, Bhaleshar, Mahasamund 493445
Website: www.kvkmahasamundcg.org , E-mail : kvk.mahasamund@igkv.ac.in

क्रमांक/कृ.वि.के/महासमुंद/स्था/2023–24/971 **दिनांक** 14/03/24

आदेश

चयन समिति की अनुशंसा उपरांत संविदा के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना/स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तब तक उनके नाम के सम्मुख दर्षित (कॉलम नं. 05) पदस्थापना स्थल पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है–

क्र	अभ्यार्थी का नाम एवं पता	पदनाम	निश्चित वेतन	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	श्री रोहित कुमार बांधे, मकान नं 243, जोरा, कृषक नगर,, पोस्ट ऑफिस – कृषक नगर, थाना – तेलीबांधा, रायपुर, (छ.ग.) पिन 492012,	वहन चालक	14200/–	कृषि विज्ञान केन्द्र, भलेसर, महासमुंद (छ. ग.)
2	श्री शंकर लुनिया, नया सरकंडा जबडानाला, सामुदायिक भवन के पास संजय नगर, चाँटीडीह बिलासपुर (छ.ग.) पिन–495006	चौकीदार	11360/–	

संविदा नियुक्ति की शर्ते :–

1. अभ्यार्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कर्तव्य निर्वहन हेतु पदस्थापना स्थल पर मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती है, जो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।
3. अभ्यार्थियों द्वारा किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना देकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकता हैं। सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन–भत्ता भुगतान/जमा करना होगा। अथ्यार्थी का कार्य संतोषजनक न होने कि स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर अभ्यार्थी की सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. अभ्यार्थी को कर्तव्य पद उपस्थिति के समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना

होगा।शारीरिक क्षमता प्रमाण प्रत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित को सेवा में रखना संभव नहीं होगा।

5. संबंधित को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराना होगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अभ्यार्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।
7. अभ्यार्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना/स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिये की जायेगी। पद पर नियुक्ति भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये पृथक से नियुक्ति प्रकिया की आवश्यकता नहीं होर्गी किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं की जायेगी।
9. संविदा पद नियुक्ति अभ्यार्थी नियमितीकरण के लिये किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित शर्तो के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
10. संविदा पद निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होगें। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरूद्ध आहरण होगा।
11. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर/कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुन्द द्वारा समय – समय पर उपराक्त पदो हेतु जारी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
12. अगर आप उपरोक्त शर्तो को मानते हों तो 15 दिवस के भीतर दिये गये निर्देशों को तो अपनी उपस्थिति पदस्थापना स्थल पर देवें।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र महासमुन्द

क्रमांक/कृ.वि.के/महासमुंद/स्था/2023–24/972 – 974 **दिनांक** 14/03/24

1. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक कृषि तकनीक अनुप्रयोग एवं अनुसंधान संस्थान, जोन 09 जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निदेशक विस्तार सेवाए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
4. लेखा नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, माननीय कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित ....श्री रोहित कुमार साहू........की ओर सादर कार्यवाही।
7. स्थापना शाखा

14/03/24

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र महासमुन्द